न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 57/2017 G.C.M.S. No. 2017/00460 दर्ज दिनांक : 13.12.2017

अपीलार्थिगण:

1. प्रभा पुत्र जेठाजी (फौत) के कायम मुकामः–
   अ नारण पुत्र प्रभाजी(फौत) के कायम मुकामः–
   अ/1. बाबु पुत्र नारण
   अ/2. वागा पुत्र नारण जातियान मेघवाल, निवासी बड़गावं तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
2. मृत वफी किस्तुरा पुत्र जेठा के कायम मुकामः–
   अ. लवगो पुत्री किस्तुरा के कायम मुकामः–
   अ/1. बाबु
   अ/2. वागा पिसरान् नारण, जातियान मेघवाल निवासी बड़गांव तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाड़ा
2. रेन्जर वन विभाग, रानीवाड़ा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2012 अनवान प्रभा के कायम मुकाम बनाम तहसीलदार रानीवाड़ा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

पैरोकारः–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 06.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2012 अनवान प्रभा के कायम मुकाम बनाम तहसीलदार रानीवाड़ा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

वादीगण ने एक वाद धारा 40, 88, 188 आर. टी. एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता नारण उर्फ नारायण एवं मृतक लवगो के पिता किस्तुरा सगे भाई थे जो प्रभा के पुत्र थे। सरहद मौजा बड़गाव में पुराने खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 2132 बीघा 12 बिस्वा भूमि राज्य सरकार की सिवाय चक भूमि थी जिसमे समय समय पर एलॉटमेन्ट हुये। हम वादीगण के पिता नारायण जी एवं उनके बड़े भाई किस्तुरजी यानि दोनो भाईयो को 15–15 बीघा भूमि दिनांक 14.07.1973 को राज्य

सरकार द्वारा एलोटमेन्ट की गई थी। उक्त एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा किया जाकर हमें कब्जा दिलाया गया था। पुराने खसरा नम्बर 711 के नये खसरा नम्बर 76 व 79 नये खसरा नम्बर 76 नारायण को एवं खसरा नम्बर 76 नारायण को एवं खसरा नम्बर 79 किस्तुर जी को भूमि 2.45 हैक्टर एव 2.43 हैक्टर भूमि तजबीज हुई। एलाटमेन्ट से लगाकर आज दिनांक तक कब्जा काश्त हम वादीगण बाबतु व वागा का है। नारायण व किस्तुर जी फौत हो चुके है। किस्तुरजी की एक पुत्री लवगो फौत हो चुकी है। किस्तुरा के हम वादीगण सगे भतीज होने से प्रथम श्रेणी के वारिसान है। उक्त भूमि पर लवगो कभी काश्त करने नहीं आई, न ही उसके पुत्र पुत्रीया काश्त करने आई। उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 को सन् 1992 में वन विभाग के नाम दर्ज की है ऐसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि हमारे पूवर्जो के नाम गैर खातेदार दर्ज थी व राजस्व रेकर्ड अनुसार हमारे पिता नारायण व किस्तुर जी को खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश भी तहसीलदार रानीवाड़ा ने किया हुआ है। उक्त भूमि सरकार की ओर से किसी प्रकार की विधि सम्मत कार्यवाही बिना अपीलांट को नोटिस दिये बिना प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश गलत तरीके से दिया गया था। वादीगण ने उक्त खेत की जमाबंदी व समस्त दस्तावेज लेकर उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा में दावा पेश किया॥ न्यायालय ने दावा दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 01 न्यायालय में हाजिर हुये, न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब पेश कर बताया कि खसरा संख्या 79 की खातेदारी लवगो पुत्री किस्तुरा के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 76 भूमि विभाग के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिये गये। न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम की गई व वादी बाबु द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 16.03.2017 को निर्णय पारित कर वादी का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने चार तनकीयात कायम की गई थी। तनकी संख्या 01 पुराने खेत खसरा नम्बर 711 के नये खसरा नम्बर 76 व 79 पर कब्जा आज से करीब 38–39 वर्ष पूर्व वादीगण के पूर्वजो का एलोटमेन्ट होने से आज तक वादी प्रेडीसर के रूप में काबिज होने से खातेदारी पाने का हकदार है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण द्वारा उक्त भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिसमें वादीगण का नाम वादीगण के पूर्वजो का नाम था। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजो का देह खातेदार के रूप में दर्ज थी। एलोटमेन्ट होने बाद से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट मंगवाकर इन तनकी का निर्णय किया जाना था ऐसा नहीं करने से आदेश खारिज योग्य है। तनकी संख्या 02 वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। न्यायालय को तनकी संख्या 01 के आधार पर दो का निर्णय किया गया है। तनकी संख्या 03 नये खसा नम्बर 76 रकबा 3.45 हैक्टर वन विभाग के नाम होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से इसका उपयोग वन विभाग द्वारा किया जोन वादी का वाद खारिज योग्य है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 को सिद्ध करनी थी। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये थे। इसके उपरान्त न्यायालय ने उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में गलत तरीके से की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है। तनकी संख्या 04 खसरा संख्या 79 रकबा 2.43 हैक्टर खातेदार लवगो पुत्री किस्तुरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 को सिद्ध करनी थी जिनके द्वारा भी न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये थे परन्तु न्यायालय ने उक्त तनकी का निर्णय गलत किया गया है। न्यायालय में वादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श 01 से 24 तक है। प्रतिवादी ने तीन दस्तावेज पेश किये जो प्रदर्श नहीं है जो साक्ष्य के रूप में नहीं जा सकते। उन दस्तावेजो पर कोई घौर नहीं कर गलत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को खारिज किये जाने का आदेश एवं पत्रावली रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से निर्णय हेतु भेजी जावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 21.07.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। दिनांक 07.06.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो निर्णय की नकल मांगी गयी जो नकल 29.06.2017 को मिली। नकल मिलने पर निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुयी सद्भाविक देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण कारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण का निस्तारण कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् पुराने खसरा संख्या 711 रकबा 2132 बीघा सिवायचक में से दिनांक 14.07.1973 को वादीगण के पूर्वज नारायण व किस्तुरा को आवटित होना तथा द्वितीय भू प्रबंध के दौरान उक्त आराजीयात् में से अन्य खसरान के साथ खसरा संख्या 76 व 79 निर्मित होना एवं आवटन से आदिनांक तक वादीगण का कब्जा काश्त होने तथा वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खातेदार दर्ज होने के बावजूद वर्ष 1992 को उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 02 वन विभाग के नाम गलत रूप से दर्ज कर देने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम कर साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार निर्णयन व विवेचन के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा वादपत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 08 ग्राम बड़गाव की जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात् मूल खसरा संख्या 'सरकारी जमीने खाता मिलकियत सरकार (घ) बजड़ (1) जंगलात' के नाम से दर्ज है। लेकिन आगे पश्चातवर्ती जमाबंदी में केवल बंजड़ शब्द अंकित रहा है तथा जगलात शब्द विलोपित कर दिया गया। अतः उक्त जंगलात शब्द का विलोपन बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार का बिना किसी नामान्तरण कार्यवाही के किया गया, तथा जंगलात शब्द विलोपन उपरांत सिवायचक बंजड़ भूमि प्रविष्ठि के आधार पर अपीलांट वादीगण को आवटन किया गया। हमारे विनम्र मत में चुकि खसरा संख्या 711 की सम्पूर्ण आराजी संवत् 2013 से ही जंगलात के नाम से सिवायचक दर्ज रही है तथा ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमियो में आवटन/नियमन एवं खातेदारी अधिकार अनुमत नहीं है, वर्ष 1992 में सिवायचक दर्ज जंगलात भूमि को सक्षम आदेश द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज किया गया जो वर्तमान में वनविभाग के नाम जमाबंदी में दर्ज है। अतः अपीलांट के पक्ष में किये गए कथित आवटन व स्वीकृत नामान्तरण आदि समस्त कार्यवाही आरम्भतः प्रभावशुन्य की श्रेणी में आती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज करने में कोई कानूनन त्रुटि नहीं की है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबधित भूमि की श्रेणी में आने से ऐसे भूमियो के संबध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित है। तथा वादपत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत विधिवर्जित होने से काबिल खारिज भी है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होने, अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2012 अनवान प्रभा के कायम मुकाम बनाम तहसीलदार रानीवाड़ा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 वगैरह की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **06.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली